



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट – ए संख्या – 1019 वर्ष 2026

विष्णु दत्त याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता : धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी, मनोरंजन शुक्ला

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री डी.के. त्रिपाठी तथा राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे दिनांक 17.05.1994 को मोसमी कलेक्शन चपरासी के रूप में नियुक्त किया गया था और वरिष्ठता सूची में उसका नाम क्रम संख्या 32 पर है। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह कलेक्शन चपरासी के रूप में समायोजन का हकदार है तथा उसके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र भी है, अतः उसे ईडब्ल्यूएस कोटे में विचार किया जाना चाहिए।
3. अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय तृतीय प्रतिवादी, जिलाधिकारी/कलेक्टर, फिरोजाबाद द्वारा किया जाएगा।
4. बार में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्ता दिनांक **12.02.2026** तक स्वयं द्वारा सत्यापित रिट याचिका की प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक समग्र प्रत्यावेदन तृतीय प्रतिवादी, जिलाधिकारी/कलेक्टर, फिरोजाबाद, जिला फिरोजाबाद के समक्ष प्रस्तुत करे। इसके पश्चात, तृतीय प्रतिवादी याचिकाकर्ता के दावे पर पात्रता, उपयुक्तता तथा अन्य प्रतिस्पर्धी दावों (यदि कोई हों) को ध्यान में रखते हुए, दो से तीन माह की अवधि के भीतर निर्णय करेगा।

जनवरी 28, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"